राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांकः एफ.4(5)आरडी/एनआरईजीएस/मार्गदर्शिका/2009–10 जयपुर, दिनांक : 13/10/09

समस्त कलक्टर,
राजस्थान।

महोदय,

भीलवाड़ा में दिनांक 30 सितम्बर, 09 से 11 अक्टुबर, 09 तक वृहद स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण पदयात्रा का आयोजन किया गया एवं इसी के दौरान जिले की 11 पंचायतों का आदर्श सामाजिक अंकेक्षण किया गया। इसके दौरान कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु उभर कर सामने आये जो सम्भवतया आपके जिले में भी लागु हो। ये सभी बिन्दु अत्यन्त महत्वपूर्ण है एवं इन पर पूरा ध्यान नहीं देने से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का पूरा लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पायेगा। ये बिन्दु निम्न है :

1. **ग्राम पंचायतों द्वारा नकद भुगतान**

   जिलों के विभिन्न सामाजिक अंकेक्षण दलों द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन से यह ज्ञात हुआ है कि अधिकांश पंचायतों द्वारा बहुत बड़ी राशि का नकद भुगतान सामग्री आपूर्ति के लिए किया गया है यह पंचायती राज नियमों एवं किसी भी अन्य प्रकार के वित्तीय नियमों के विरूद्ध है। न केवल यह भुगतान ऐसी फर्मो को किया गया जिनका न तो पूरा पता अंकित है और न ही उनका वाणिज्य कर विभाग या अन्य विभाग में पंजीकरण कराया हुआ है। इस बारे में पूर्व में भी आदेश दिए गए हैं कि पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान नकद नहीं किया जावे

एवं सामग्री आपूर्ति के सबंध में पंचायत समिति द्वारा निर्धारित फर्म से ही निर्धारित दरों पर सामग्री कय की जावे।

2. **पंचायत में जॉब कार्ड का रखा जाना**

कई ऐसे परिवार थे जिनके जॉब कार्ड पंचायत के पास कार्यालय में ही रखें हुए थे। यह आश्चर्य की बात है कि नरेगा लागु होने के 18 माह बाद भी ग्रामीण परिवारों को जॉब कार्ड का वितरण तक नहीं किया गया। इससे दुरूपयोग की आशंका बनी रहती है। पोस्ट ऑफिस की पास बुकें भी पंचायत कार्यालय में पायी गई। यह गम्भीर मामला है क्योंकि संबंधित परिवार का यह अधिकार है कि जॉब कार्ड एवं पासबुक उसके पास रहे।

3. **जे.सी.बी. मशीन का उपयोग**

जिले में कई स्थानों पर नरेगा कार्यो में मशीन के उपयोग की जानकारी सामने आयी उनका भौतिक सत्यापन भी सामाजिक अंकेक्षण दलों ने किया। नरेगा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो को अकुशल श्रमिकों द्वारा ही करवाया जाना होता है एवं मशीन का उपयोग केवल उन्हीं परिस्थितियों में किया जा सकता है जो कार्य श्रमिकों द्वारा सम्भव नहीं हो। मशीन के उपयोग का भुगतान भी सामग्री मद से किया जाना होता है। भीलवाड़ा जिले के प्रकरणों में यह भुगतान सामग्री मद से नहीं किया जाकर फर्जी मस्ट्रोल पर फर्जी नाम लिखकर भुगतान किया गया।

4. **निर्धारित स्थान पर कार्य नहीं कराया जाना**

प्रत्येक स्वीकृत कार्य का पूर्वानुमान बनाया जाता है एवं उसी आधार पर उसमें श्रम एवं सामग्री पर व्यय किया जाना अपेक्षित होता है। यह बात सामने आयी कि कार्यो को तकनीकी स्वीकृति के आधार पर

नहीं करवाया गया एवं कुछ स्थानों पर तो स्वीकृत कार्यो के स्थान पर अन्य कार्य करवा लिए गए जो कि गंभीर अनियमितिता है।

5. **सामग्री का फर्जी भुगतान**

सामाजिक अंकेक्षण दलों द्वारा यह बात सामने लायी गई कि कार्य की तकनीकी स्वीकृति में उल्लेखित सामग्री मद में पूरी सामग्री कय की जाकर उसका उपयोग कार्य हेतु नहीं किया गया अपितु दिखायी गई सामग्री से कहीं कम सामग्री का उपयोग हुआ जिससे सामग्री के फर्जी भुगतान के मामले सामने आये।

6. **कार्यो की अनावश्यक स्वीकृतियां**

पूर्व में स्वीकृत कार्य पूर्ण हुए बिना नये–नये कार्य पंचायतों को स्वीकृत कर दिए गए जिससे पूर्व में स्वीकृत कार्य अपूर्ण ही पड़े रह गए एवं मजदूरों को नवसृजित कार्यो पर लगा दिया गया। नये कार्य स्वीकृत करने से पूर्व जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि श्रमिकों की मांग के अनुसार पहले अपूर्ण कार्यो को पूर्ण करने के लिए श्रमिक लगाये जावे एवं उसके पश्चात् भी अतिरिक्त श्रमिकों की मांग हो तभी नये कार्य स्वीकृत किये जावे जिससे धनराशि का दुरूपयोग एवं निष्फल व्यय नहीं हो।

7. **कार्य स्थल पर भेदभाव की शिकायत**

यह तथ्य सामने आया कि कुछ स्थानों पर जाति, धर्म एवं वर्ग के आधार पर ग्रामीणों में भेदभव किया जाता है विशेषकर ऐसे कार्यो में जैसे पानी पिलाना आदि। यह न केवल संवैधानिक कानून के विरूद्ध है अपितु सामाजिक रूप से भी अनुचित है। ऐसे प्रकरण सामने आने पर कठोर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

8. **गलत जॉब कार्ड बनाना**

कई जॉब कार्ड पर परिवार के व्यस्क सदस्यों के फोटो नहीं पाये गये एवं ऐसे व्यक्तियों के भी जॉब कार्ड होने की शिकायत पायी गई जो गॉव में नहीं रहते है। इसी प्रकार के जॉब कार्ड से राजकीय राशि के दुरूपयेाग की सम्भावना अधिक होती है।

9. **फार्म 6 की अनुपलब्धता**

यह तथ्य सामान्य रूप से सामने आया कि कार्य की मांग करने वाले श्रमिकों को पंचायत पर कार्य की मांग के लिए आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं करवाये जाते तथा साथ ही कार्य की मांग करने पर उसके आवेदन की रसीद उसे नहीं दी जाती है इसके फलस्वरूप कार्य नहीं मिलने पर भी ग्रामीण बेरोजगार भत्ते से वंचित रहे जाते हैं।

10. **एमआईएस में अपूर्ण प्रविष्टियां**

कई बार लिखे जाने के पश्चात् अभी भी श्रमिकों के मस्ट्रोल एवं सामग्री कय की एमआईएस में प्रविष्टियों की प्रगति अत्यधिक धीमी है। इसके अभाव में सही जानकारी विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं हो पाती जैसा कि पूर्व में भी लिखा जा चुका है। भविष्य में राशि तभी जारी की जावेगी जब एमआईएस की प्रविष्टियां पूरी होगी।

11. **दीवारों पर लेखन**

एक से अधिक बार स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद अभी भी गॉव की सार्वजनिक दीवारों पर नरेगा के अन्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों का विवरण एवं सामग्री का विवरण अंकित नहीं किया गया है। इस हेतु विस्तृत आदेश दिनांक 20 अप्रेल, 09 को जारी किए गए थे तत्पश्चात् स्मरण पत्र भी जारी किए गए। अब यह तय किया गया

है कि 31 अक्टुबर, 09 तक वर्ष 2008–09 की सभी संबंधित सूचनाओं को दीवारों पर नहीं लिखने पर इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्त सभी बाते मैंने अपने पूर्व पत्रों में विस्तार से लिखी है परन्तु उसके बाद भी जो स्थिति सामने आयी कमोबेश आपके जिले में भी हो सकती है। अतः इन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुए यह सुनिश्चित करें कि नरेगा कानून की पूर्णरूपेण पालना हो।

भवदीय,

(राजेन्द्र भाणावत)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि : समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आयुक्त, ईजीएस